बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र02 / बि0स्टे0पा0(हों0)कं0लि0–05 / 2013 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक 31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 842.50 करोड़ (आठ सौ बयालीस करोड़ पचास लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत तथा वजट में उपबंधित राशि 842.50 करोड़ रूपये का प्रथम चौमाही में 33% अर्थात 279.00 करोड़ (दो सौ उनासी करोड़) रूपये तत्काल एवं द्वितीय चौमाही में 33% तथा तृतीय चौमाही में अवशेष राशि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण स्कीम 2012 जो 01.11.2012 से लागू है, कंडिका–6.14 के प्रावधान के आलोक में पूर्ववर्ती बोर्ड के पेन्शनरों एवं कर्मियों के अनफण्डेड दायित्वों का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है।

2. ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, पटना के अधिसूचना सं0–17 दिनांक–30.10.2012 के कंडिका 6(14) एवं 6(15) में उल्लिखित है कि :–

"कंडिका–6.14:–बोर्ड के मौजूदा पेंशनभोगियों के दायित्व (31.03.2011 को जीवनांकिक मूल्यांकन पर आधारित) राज्य सरकार के दायित्व होंगे। आगे, प्रभावी तिथि को मौजूदा कर्मचारियों के रिटायरल देयताओं के संबंध में, जीवनांकिक मूल्यांकन पर यथा अभिनिर्धारित, दायित्व उस सीमा तक के कोषरहित है, वे भी राज्य सरकार के दायित्व होंगे। निबंधित बीमांकिक द्वारा किए गए जीवनांकिक मूल्यांकन के अनुसार कुल सेवान्तक लाभ दायित्वों का शुद्ध वर्त्तमान मूल्य 4613/– करोड़ रुपये (प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की दर से डिस्काउन्टेड) है जिसमें से कोषरहित दायित्व दिनांक 31.03.2011 को लगभग 4438 करोड़ रुपये है।"

"कंडिका 6.15:–कर्मचारियों के वेतनादि के संबंध में बोर्ड द्वारा सृजित कोषरहित दायित्वों का, जोकि राज्य सरकार के नीति निर्देशों से आच्छादित हो, को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रभावी तिथि तक के कोषरहित दायित्व को राज्य सरकार के नीति निर्देशों से आच्छादित माना जाएगा। प्रशासी विभाग तत्संबंधी विस्तृत विवरण बोर्ड/होल्डिंग कंपनी से प्राप्त कर समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णय हेतु उपस्थापित करेगा, तदनुसार इस बिन्दु पर ट्रान्सफर स्कीम अंतिम माना जाएगा। उपर्युक्त **कोषरहित सेवान्तक लाभ दायित्व का निर्धारण बीमांकिक द्वारा मुद्रा–स्फीति, वेतन पुनरीक्षण, आदि के प्रभाव को देखते हुए वार्षिक आधार** पर किया जाता है। प्रभावी तिथि के बाद, उत्तरवर्त्ती अवधियों में सेवा के कारण दायित्व का वहन संबंधित उत्तराधिकारी कंपनी द्वारा किया जाएगा। सेवांतक लाभों का संवितरण होल्डिंग कंपनी के प्रशासित मास्टर ट्रस्ट के माध्यम किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अंशदान प्रत्येक वर्ष दो किश्त में अग्रिम रूप में किया जाएगा अर्थात 31 मई और 30 नवम्बर को तथा उत्तराधिकारी

कंपनी मासिक आधार पर अगले माह के 7 तारीख से संवितरित करेगी। ऐसी अधिसूचना मास्टर ट्रस्ट की स्थापना एवं समुचित निधि होने तक उस पर होनेवाले भुगतानों के लिए राज्य सरकार और अंतरिती संयुक्त रूप से एवं अलग–अलग दायी होंगे।"

तद्नुसार कम्पनी गठन की तिथि 31.10.2012 तक के लिए सेवानिवृत्त लाभों के दायित्वों का निर्धारण बीमांकिक (Actury) द्वारा कराये गये Actuarial valuation Report के आधार पर दायित्वों से संबंधित विवरणी तैयार की गई है, जिसमें तिथि 31.10.2012 तक के लिए सेवानिवृत्त लाभ के मद में 5729.88 करोड़ रूपये देयता बिहार सरकार पर है। इन दायित्वों की प्रतिपूर्ति हेतु ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 तक कुल 4091.21 करोड़ रूपये उपलब्ध कराई गई है।

3. उक्त आलोक में पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक 31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 842.50 करोड़ (आठ सौ बयालीस करोड़ पचास लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत तथा वजट में उपबंधित राशि 842.50 करोड़ रूपये का प्रथम चौमाही में 33% अर्थात 279.00 करोड़ (दो सौ उनासी करोड़) रूपये तत्काल एवं द्वितीय चौमाही में 33% तथा तृतीय चौमाही में अवशेष राशि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष "2801–बिजली, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता", उप शीर्ष–0005–बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०–सेवोत्तर लाभ(टर्मिनल बेनिफिट), विपत्र कोड–10–2801801900005, विषय शीर्ष–31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना चालू खाता संख्या–10839114909 एवं IFSC Code-SBIN0000153 में आर0टी0जी0एस0/ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा की जायेगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र02/बि0स्टे0पा0(हों0)कं0लि0–05/2013 के पृष्ठ संख्या–167/टि0 पर दिनांक–11.07.2018 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र02/बि0स्टे0पा0(हों0)कं0लि0–05/2013 पृष्ठ संख्या–170/टि0 पर दिनांक–13.07.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/बि0स्टे0पा0(हों0)कं0लि0–05/2013 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/बि0स्टे0पा0(हों0)कं0लि0–05/2013 1960 /पटना, दिनांक– 16/07/2018

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा; ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/वरीय प्रबंधक, वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।